

Form No. III**फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़

मुकाम

चित्तौड़गढ़

वण्डर सीमेंट लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी

बनाम

महेन्द्र सिंह वगैराह

कार्यवाही अन्तर्गत :-

धारा 89 (04) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

किस्म मुकदमा

प्रार्थना-पत्र (रे.वि.)

नं०

197

सन्

2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.09.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। वकील प्रार्थी ने पूर्व में दिनांक 12.09.2023 को प्रार्थना पत्र बाबत् कार्यवाही विद्ने हेतु पेश किया जो शामिल पत्रावली है। रिकार्ड पर लिया जाता है। इस पर हाजिर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस बाबत् कार्यवाही विद्ने को सुना गया। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस बाबत् कार्यवाही विद्ने का चिंतन-मनन किया। प्रार्थी कंपनी स्वयं अपना आवेदन नहीं चलाना चाहती है ऐसी स्थिति में प्रार्थी की और से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक 12.09.2023 बाबत् कार्यवाही विद्ने को स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी कंपनी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 89 (04) LR ACT 1956 को विद्नेल में खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">-S/d- (पीयुष समारिया) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 19.09.2023</p> 	